

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

42 / 2020  
22-7-2020

रामफूल पुत्र टोल्या मीणा निवासी ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला-टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला-टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय  
नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 13-7-2020 मिसल नम्बर 322 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री महेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 24-2-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 13-7-2020 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम केरोद की गैर मुमकिन रास्ते की भूमि 338 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा में से 0.04 बिस्वा भूमि पर मकान/बाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 10/रूपये की पेनल्टी कायम करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ने राजकीय गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 338 पर कब्जे की रिपोर्ट नायब तहसीलदार निवाई के समक्ष पेश की जो गलत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है बल्कि खसरा पम्बा 338 गैर मुमकिन रास्ते के पास ही अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 336,337 स्थित है भूमि खसरा नम्बर 337 गैर मुमकिन चाह है, अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की सीमाओं के भीतर ही मकान बना रखा है जो कदीमी से बना हुआ है। रास्ते की भूमि पर 12 फिट चौड़ी सीसी रोड बनी हुई है ओर 4 फिट खाली भूमि भी छूटी हुई है। जिसके बाद अपीलान्ट की खातेदारी की भूमियां स्थित है, जिसके लगवां ही पानी की खेल बनी हुई है। विवादित स्थान पर रास्ता सुचारु रूप से चालू है हल्का पटवारी द्वारा उक्त



**जिला कलेक्टर**  
टोंक

समाज के लोगों के कहने पर बिना मौके पर गये एवं बिना जाँच किये गलत रिपोर्ट पेश की हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-7-2020 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ते में खसरा नम्बर 338 की भूमि में से रकबा 0.04 बीघा वाके ग्राम केरोद तह0 निवाई में मकान/बाड़ा बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है तत्पश्चात बेदखली के आदेश पारित किये हैं। उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है एवं किसी भी राज्यादेश के तहत नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील/लिखित बहस में अंकित तथ्यों एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्त ने राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ते में खसरा नम्बर 338 की भूमि में से रकबा 0.04 बीघा वाके ग्राम केरोद तह0 निवाई में मकान/बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्त द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन करने पर नायब तहसीलदार निवाई से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट क्रमांक 618 दिनांक 23-10-2020 में भी स्पष्ट अंकित किया है कि वर्तमान पटवारी व गिरदावर द्वारा पुनः जाँच करवाई गई जिसमें अतिक्रमी का खसरा नम्बर 338 में मकान का हिस्सा तथा कच्चा निर्माण पाया गया अपीलान्त विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 13-7-2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-2-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी गोपाल  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर, टोंक  
टोंक